



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042022-234936
CG-DL-E-07042022-234936

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1581]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2022/ चैत्र 16, 1944

No. 1581]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2022/CHAITRA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2022

का.आ. 1664(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में NH548C के कि.मी. 97.2 से कि.मी. 147.8 (सोलापूर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डिप्टी कलेक्टर, लैंड एक्जीजीशन no. ११, सोलापूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में NH548C के कि.मी. 97.2 से कि.मी. 147.8 (सोलापूर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सोलापूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: माढा					
गांव का नाम: शेवरे					
1	123	निजी	एग्रिकल्चर	0.0358000(हेक्टेयर)	0.0358000
2	131	निजी	एग्रिकल्चर	0.0269000(हेक्टेयर)	0.0269000
गांव का नाम: टेम्भूर्णी					
1	468/1	अन्य	नान् एग्रिकल्चर	0.0108000(हेक्टेयर)	0.0108000
2	468/2	निजी	नान् एग्रिकल्चर	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
तालुक का नाम: मालशिरस					
गांव का नाम: बागेचिवाडी					
1	38	अन्य	नॉन एग्रिकल्चर	0.0141000(हेक्टेयर)	0.0141000
2	46	अन्य	एग्रिकल्चर	0.0213000(हेक्टेयर)	0.0213000
3	47	निजी	एग्रिकल्चर	0.0230000(हेक्टेयर)	0.0230000
4	60	निजी	नॉन एग्रिकल्चर	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
5	65	निजी	नॉन एग्रिकल्चर	0.0024000(हेक्टेयर)	0.0024000
गांव का नाम: भांबुर्डी					
1	516	निजी	एग्रिकल्चर	0.0584000(हेक्टेयर)	0.0584000
गांव का नाम: गोरडवाडी					
1	1	निजी	एग्रिकल्चर	0.0225000(हेक्टेयर)	0.0225000
2	116	निजी	एग्रिकल्चर	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
3	118	निजी	एग्रिकल्चर	0.0925000(हेक्टेयर)	0.0925000

4	119	निजी	एग्रिकल्चर	0.0413000(हेक्टेयर)	0.0413000
5	120	अन्य	एग्रिकल्चर	0.0515000(हेक्टेयर)	0.0515000
6	6	निजी	एग्रिकल्चर	0.0867000(हेक्टेयर)	0.0867000
7	7	निजी	एग्रिकल्चर	0.0825000(हेक्टेयर)	0.0825000
8	817	निजी	एग्रिकल्चर	0.0490000(हेक्टेयर)	0.0490000
9	87	निजी	एग्रिकल्चर	0.0260000(हेक्टेयर)	0.0260000
10	89	निजी	एग्रिकल्चर	0.0913000(हेक्टेयर)	0.0913000
गांव का नाम: इस्लामपूर					
1	620	निजी	एग्रिकल्चर	0.0355000(हेक्टेयर)	0.0355000
गांव का नाम: लवंग					
1	287	निजी	नान् एग्रिकल्चर	0.0047000(हेक्टेयर)	0.0047000
गांव का नाम: मांडकी					
1	451	निजी	एग्रिकल्चर	0.0356000(हेक्टेयर)	0.0356000
2	452	निजी	एग्रिकल्चर	0.0100000(हेक्टेयर)	0.0100000
गांव का नाम: मोटेवाडी					
1	623	निजी	एग्रिकल्चर	0.0623000(हेक्टेयर)	0.0623000
2	627	निजी	एग्रिकल्चर	0.0390000(हेक्टेयर)	0.0390000
गांव का नाम: संगम					
1	68	निजी	एग्रिकल्चर	0.0980000(हेक्टेयर)	0.0980000
2	9	अन्य	एग्रिकल्चर	0.0333000(हेक्टेयर)	0.0333000
गांव का नाम: तांबवे					
1	255	निजी	एग्रिकल्चर	0.0591000(हेक्टेयर)	0.0591000
2	256	निजी	एग्रिकल्चर	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
कुल				1.3835	1.3835

[फा. सं. 12037/1/2017-MAH(P-6)/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th April, 2022

S.O. 1664(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH548C in the stretch of land from Km. 97.2 to Km. 147.8 (Solapur) in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Deputy collector, land Acquisition no. 11, Solapur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH548C in the stretch of land from Km. 97.2 to Km. 147.8 (Solapur) in the district of SOLAPUR in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA District: SOLAPUR					
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Madha					
Village: Shevare					
1	123	Private	Agriculture	0.0358000(Hectare)	0.0358000
2	131	Private	Agriculture	0.0269000(Hectare)	0.0269000
Village: Tembhurni					
1	468/1	Common	Non Agriculture	0.0108000(Hectare)	0.0108000
2	468/2	Private	Non Agriculture	0.0300000(Hectare)	0.0300000
Taluk: Malshiras					
Village: Bagechiwadi					
1	38	Common	Non Agriculture	0.0141000(Hectare)	0.0141000
2	46	Common	Agriculture	0.0213000(Hectare)	0.0213000
3	47	Private	Agriculture	0.0230000(Hectare)	0.0230000
4	60	Private	Non Agriculture	0.1300000(Hectare)	0.1300000
5	65	Private	Non Agriculture	0.0024000(Hectare)	0.0024000
Village: Bhamburdi					
1	516	Private	Agriculture	0.0584000(Hectare)	0.0584000
Village: Goradwadi					

1	1	Private	Agriculture	0.0225000(Hectare)	0.0225000
2	116	Private	Agriculture	0.0800000(Hectare)	0.0800000
3	118	Private	Agriculture	0.0925000(Hectare)	0.0925000
4	119	Private	Agriculture	0.0413000(Hectare)	0.0413000
5	120	Common	Agriculture	0.0515000(Hectare)	0.0515000
6	6	Private	Agriculture	0.0867000(Hectare)	0.0867000
7	7	Private	Agriculture	0.0825000(Hectare)	0.0825000
8	817	Private	Agriculture	0.0490000(Hectare)	0.0490000
9	87	Private	Agriculture	0.0260000(Hectare)	0.0260000
10	89	Private	Agriculture	0.0913000(Hectare)	0.0913000
Village: Islampur					
1	620	Private	Agriculture	0.0355000(Hectare)	0.0355000
Village: Lawang					
1	287	Private	Non Agriculture	0.0047000(Hectare)	0.0047000
Village: Mandaki					
1	451	Private	Agriculture	0.0356000(Hectare)	0.0356000
2	452	Private	Agriculture	0.0100000(Hectare)	0.0100000
Village: Motewadi					
1	623	Private	Agriculture	0.0623000(Hectare)	0.0623000
2	627	Private	Agriculture	0.0390000(Hectare)	0.0390000
Village: Sangam					
1	68	Private	Agriculture	0.0980000(Hectare)	0.0980000
2	9	Common	Agriculture	0.0333000(Hectare)	0.0333000
Village: Tambave					
1	255	Private	Agriculture	0.0591000(Hectare)	0.0591000
2	256	Private	Agriculture	0.0300000(Hectare)	0.0300000
Total				1.3835	1.3835

[F. No. 12037/1/2017-MAH(P-6)/3A]

RAJESH GUPTA, Director